# न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर – 02/2020

सरकार जरिये पटवारी हल्का नरवदखेड़ा

**बनाम**

श्रीमती गीता देवी पत्नि चौखुसिंह, जाति–रावत, निवासी–केसरपुरा, तह. ब्यावर

**मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

## निर्णय

दिनांक : 6/2/2020

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम–केसरपुरा, पटवार मण्डल–नरवदखेड़ा, तहसील–ब्यावर के खसरा नम्बर 754 कुल रकबा 57–17–00 किस्म–दांती में से रकबा 02–00–00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्रीमती गीता देवी पत्नि चौखुसिंह, जाति–रावत, निवासी–केसरपुरा तहसील–ब्यावर ने अवैध रूप से चने की फसल काश्त कर अतिचार करने पर पटवारी हल्का नरवदखेड़ा ने उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी अनुपस्थित, अतः प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से बेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम–केसरपुरा की सरकारी चरागाह भूमि के ख.नं. 754 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से चने की फसल काश्त कर रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रू. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रू. 50/– पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी/भूअभिलेख निरीक्षक को कब्जा/बेदखली/ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावें।

तहसीलदार ब्यावर

E:\REVENUE SECTION\91 ORDER\90 ORDER.DOC

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2020.02.19 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested